



सामान्य एवं पिछड़ी जाति के बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें:-

विद्यालयों में छात्रों/छात्राओं को पाठ्य पुस्तक नहीं रहने के कारण उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने में काफी कठिनाई होती है। पुस्तक के आभाव में उन्हें विषय को समझने में परेशानी होती है।

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक नामांकित सभी छात्राओं तथा अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के सभी छात्रों को निःशुल्क पाठ्य उपलब्ध कराने का प्रावधान है परन्तु सामान्य एवं पिछड़ी जाति के कक्षा 1-8 के छात्रों सर्व शिक्षा अभियान से पाठ्य पुस्तकें प्राप्त नहीं होती। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा सामान्य एवं पिछड़ी जाति के बच्चों को भी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही है। पुस्तकों का मुद्रण एवं वितरण झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा किया जाता है।